

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा प्रतिदिन की भांति पुलिस कार्यालय, महोबा में जनतादर्शन में जनसुनवाई कर जनसामान्य की समस्याओं को सुना गया तथा सम्बन्धित को दिये आवश्यक निर्देश-

आज दिनांक 24.02.2023 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता द्वारा पुलिस कार्यालय, महोबा में जनसुनवाई की गई, इस दौरान पुलिस कार्यालय में आने वाले फरियादियों/जनसामान्य की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा उनकी समस्याओं के समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए, जिसमें पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में मौके पर जाकर शिकायतों की तत्काल, निष्पक्ष व न्यायोचित जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया तथा शिकायतकर्ता से समय-समय पर जनसामान्य की समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में फीडबैक लिये जाने सम्बन्धी आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपदीय पुलिस के समस्त क्षेत्राधिकारी/थाना प्रभारियों को सचेत किया गया कि जनसुनवाई को और अधिक प्रभावशाली बनाये ताकि पीड़ित/शिकायतकर्ता को अनावश्यक रूप से अपने थाने से इतनी दूर पुलिस कार्यालय आने की आवश्यकता न हो, साथ ही सभी प्र0नि0/थानाध्यक्ष को यह भी निर्देश दिये गये कि जिस समस्या का समाधान थाना स्तर से हो सकता है उन सभी समस्याओं का समाधान थाना स्तर पर ही कराना सुनिश्चित करें।



थाना खरेला पुलिस टीम ने सार्वजनिक स्थान पर हार-जीत की बाजी लगा जुआ खेल रहे 07 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन पर जनपद में अवैध रूप से संचालित जुआ/सट्टा में लिप्त अपराधियों की चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में दिनांक 24.02.2023 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री अजय कुमार अग्रवाल के निकट पर्येक्षण में थाना खरेला थानाध्यक्ष श्री यज्ञनारायण भार्गव द्वारा गठित की गयी उ0नि0 दिनेश कुमार यादव व उ0नि0 अजयपाल सिंह मय हमराह कर्मचारी गणों के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने सार्वजनिक स्थान पर हार-जीत की बाजी लगा जुआ खेल रहे 07 नफर अभियुक्त क्रमशः 1. प्रीतम राजपूत पुत्र सुरेन्द्र राजपूत उम्र 21 वर्ष 2. नीरज राजपूत पुत्र सुरेन्द्र सिंह उम्र 20 वर्ष 3. हलकुट्टा राजपूत पुत्र जयप्रकाश उम्र 47 वर्ष नि0गण ग्राम जरौली थाना खरेला जिला महोबा 4. सतीश राजपूत पुत्र महिपत उम्र 29 वर्ष 5. अरविन्द राजपूत पुत्र लखन सिंह उम्र 29 वर्ष 6. प्रकाश राजपूत पुत्र बाबूलाल उम्र 50 वर्ष नि0गण ग्राम दमदमा थाना खरेला जिला महोबा 7. बबलू राजपूत पुत्र आशाराम उम्र 32 वर्ष नि0 ग्राम किड़ारी थाना कोत0 महोबा जनपद महोबा हाल पता ग्राम जरौली थाना खरेला जिला महोबा को घटनास्थल ग्राम जरौली थाना खरेला के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया गिरफ्तारी के आधार पर मु0अ0सं0 19/2023 धारा 13 जुआ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 दिनेश कुमार यादव
2. उ0नि0 अजयपाल सिंह
3. का0 दिनेश कुमार
4. का0 रोहित कुमार यादव,
5. का0 चन्दन
6. का0 राहुल यादव

बरामदगी-

मालफड़- 2900 रुपये , जामा तलाशी 1950 रुपये व 52 अदद ताश पत्ते



थाना श्रीनगर पुलिस टीम ने 02 नफर वारण्टी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन पर जनपद में अपराध रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 24.02.2023 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के. गौतम व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री अजय कुमार अग्रवाल के निकट पर्यवेक्षण में थाना श्रीनगर थानाध्यक्ष श्री गणेश कुमार गुप्ता द्वारा संयुक्त पुलिस टीम का गठन किया गया।

प्रथम पुलिस टीम उ0नि0 शिवस्वरूप सिंह मय हमराह का0 राघवेन्द्र सिंह के नेतृत्व में गठित हुयी जिनके द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त 1. कृष्णकुमार उर्फ सोनू गुप्ता पुत्र श्याम बिहारी गुप्ता उम्र करीब 25 वर्ष नि.मो.बजरंग कालोनी थाना श्रीनगर जनपद महोबा सम्बन्धित मु.अ.सं.16/2022 धारा 60 आब0अधि0 के वारण्टी अभियुक्त को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

इसी क्रम में द्वितीय पुलिस टीम उ0नि0 देवेन्द्र पाण्डेय मय हमराह कां. विजय शंकर त्रिपाठी के नेतृत्व में गठित हुयी जिनके द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त 1. रूपू उर्फ कृष्णकान्त अरजरिया पुत्र जगदीश अरजरिया निवासी ग्राम हिलुवा थाना श्रीनगर जनपद महोबा उम्र करीब 28 वर्ष एसपी नं.216/2021 अ.सं.35/2021 धारा 8/20 NDPS Act सम्बन्धित मां. न्यायालय एसजे (एफटीसी-2016)/ एसपी जज जीएसटी/ एनडीपीएसएक्ट महोबा के द्वारा निर्गत वारण्ट के क्रम में वारण्टी अभियुक्त को ग्राम हिलुआ थाना श्रीनगर से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तों को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त मां. न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उराघवेन्द्र सिंह 0का .2 शिवस्वरूप सिंह 0नि0
1. उ0नि0 देवेन्द्र पाण्डेय .2 का0 विजय शंकर त्रिपाठी



थाना खन्ना पुलिस टीम ने विद्युत प्रवर्तक (ट्रांसफार्मर) से गिरफ्तार अभियुक्त-

तेल चोरी करने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन पर जनपद में अपराध रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध लगातार सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान चलाया जा रहा है। जिसके अनुपालन में आज दिनांक 24.02.2023 को थाना खन्ना पुलिस टीम को अवर अभियन्ता 33/11 KV सबस्टेशन सिसोलर हमीरपुर श्री चन्द्रप्रकाश मय हमराह लाइनमैन सूरजभान सिंह ग्राम लेवा थाना सिसोलर जनपद हमीरपुर के साथ थाना उपस्थित आये जिनके द्वारा एक गैलन में करीब 25 लीटर प्रवर्तक (ट्रांसफार्मर) तेल व एक प्लास्टिक की पाइप करीब दो मीटर चोरी करने के सम्बन्ध में एक किता लिखित तहरीर मय माल मय मुल्जिम शिव विजय सिंह उपरोक्त के दाखिल किया, नामजद अभियुक्तगण क्रमशः शिव विजय सिंह पुत्र अमान सिंह नि० ग्राम मोहनपुरवा थाना मटौध जिला बांदा व अभिषेक पुत्र नन्हू सिंह नि० ग्राम जिगनौडा थाना मौदहा जिला हमीरपुर जिनके द्वारा ग्राम अकबई में पानी की टंकी के पास रखे 63 KVA विद्युत प्रवर्तक से तेल चोरी किया गया, अभियुक्त शिव विजय सिंह को हिरासत में लिया गया जिस पर उसके विरुद्ध थाना हाजा मु.अ.स. 20/23 धारा 379/411 भादवि थाना खन्ना जनपद महोबा का अभियोग पंजीकृत कर मां० न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता द्वारा प्र०नि० थाना खन्ना को अभियुक्त अभिषेक पुत्र नन्हू सिंह उपरोक्त की गिरफ्तारी के निर्देश दिये गये हैं जिसकी गिरफ्तारी हेतु टीम रवाना है, शीघ्र ही अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

1. शिव विजय सिंह पुत्र अमान सिंह निवासी मोहनपुरवा थाना मटौध जनपद बांदा उम्र करीब वर्ष 26

बरामदगी-

25 लीटर प्रवर्तक तेल व एक प्लास्टिक की पाइप करीब दो मीटर चोरी की बरामद के सम्बन्ध में।



पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा पुलिस लाइन महोबा का किया गया औचक निरीक्षण,

पुलिस लाइन अवस्थित विभिन्न शाखाओं, निर्माणाधीन भवनों का अवलोकन कर दिये आवश्यक दिशा-निर्देश।

आज दिनांक 24.02.2023 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता द्वारा पुलिस लाइन महोबा का औचक निरीक्षण किया गया, सर्वप्रथम क्वार्टर गार्ड पहुंचकर सलामी ली गयी इसके उपरान्त क्वार्टर गार्ड में तैनात पुलिस कर्मियों को क्वार्टर गार्ड में ड्यूटी के दौरान रणनीति, तकनीक प्रक्रियाओं से सम्बन्धित प्रश्न किये गये जिसके क्रम में सतर्कता पूर्वक ड्यूटी करने के निर्देश दिये, तत्पश्चात जीपी स्टोर, परिवहन शाखा, जीडी/गणना कार्यालय, बैरक, भोजनालय, पुलिस कैन्टीन इत्यादि का निरीक्षण कर अभिलेखों का अवलोकन कर उनको अपडेट किये जाने तथा उनके रखरखाव व साफ-सफाई हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

औचक निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा पुलिस लाइन में प्रचलित एवं प्रस्तावित निर्माणकार्यों की भौतिक स्थिति का स्थलीय निरीक्षण किया गया, पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्माणकार्य करने वाली कार्यदायी संस्था को निर्माणकार्य को गुणवत्तापूर्ण/समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए गये।

इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस लाइन महोबा में सभी गार्ड कमांडरों का अर्दली रुम किया गया इस दौरान पुलिस लाइन अवस्थित समस्त शाखाओं के रजिस्ट्रारों/अभिलेखों का निरीक्षण कर सम्बन्धित को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

इस अवसर पर प्रतिसार निरीक्षक श्री सैन्यजीत सिंह




पुलिस अधीक्षक महोबा के नेतृत्व में जनपदीय पुलिस बल द्वारा जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पैदल गस्त कर आम-जनमानस को दिलाया गया सुरक्षा का भरोसा ।

आज दिनांक **24.02.2023** को श्रीमती अपर्णा गुप्ता के नेतृत्व में एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा आर0के0 गौतम के निकट पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस बल द्वारा जनपद के संवेदनशील स्थानों पर प्रभावी पैदल गस्त की गयी तथा व्यापारी बन्धुओं से वार्ता कर उनको अपने-अपने प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने व अफवाहों पर ध्यान न देने हेतु की गयी अपील, स्थानीय लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखनें, अराजकता फैलाने वालों की सूचना पुलिस को देने की अपील की गयी ।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा संवेदनशील स्थानों पर प्रभावी पैदल गस्त की गयी । स्थानीय लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखनें, अराजकता फैलाने वालों की सूचना पुलिस को देने की अपील की गयी तथा जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारियों द्वारा अपने-अपने सर्किल में तथा सभी थानाध्यक्षों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार, धार्मिक-स्थल, बस-स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन ढाबा आदि जगहों पर पैदल गस्त करते हुए यातायात नियमों को उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए वाहनों के चालान व सीज करने की कार्यवाही की गई ।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा शराब की दुकानों का निरीक्षण किया गया एवं सेल्समैन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए व यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर वाहनों के ई-चालान किये गये ।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक - 24.02.2023

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



महोबा पुलिस